न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 87/2020
GCMS No.- : 2020/00225

–: वादी :–

1. माणकचन्द पुत्र श्री पोकरराम जाति मेघवाल, निवासी प्लाट न. 84 श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. नारायण पुत्र सवाई फौत के कायम मुकाम
   1/1. कमला पुत्री नारायण
2. सुरेश पुत्र शंकर
3. राजूराम पुत्र मिसरू
4. गणपत पुत्र मिसरू
5. पारस पुत्र मिसरू
6. मंजू पुत्री मिसरू
7. नैनी पत्नी मिसरू

जाति भाम्बी निवासीगण भीमगढ तह0जैतारण

8. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जी जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।
9. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
10. डालचन्द पुत्र छितरमल जी जाति भाम्बी, निवासी 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
11. चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
12. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भाम्बी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
13. कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल जाति कोली, निवासी 8ए श्रीकृष्ण कॉलोनी गणेशपुरा रोड ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
14. [illegible] पुत्र रतनलाल, जाति [illegible] निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी [illegible]ड़ा रोड ब्यावर, तहसील [illegible] जिला अजमेर।
15. मेता पुत्र भेरा
16. अफसाना पुत्री नेना ना.बा.का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला–पाली

कुदरती वली बडे पिता मेता पुत्र भेरा

17. कमरु पुत्र भेरु
18. भंवरी पुत्री भेरु
19. हमीदा पत्नी हेमा
20. धीरा पुत्र बन्ना
21. रोशन पुत्र बन्ना
22. भोजा पुत्र हेमा
23. सोहनी पत्नी देवी
24. साबू पुत्र देवी
25. मुकेश पुत्र देवी
26. गोतम पुत्र देवी
27. मदीना पुत्री देवी
28. गंगा पुत्री देवी
29. हाकम पुत्र मकबुल
30. माला पुत्र कालू
31. गोपालसिंह पुत्र डूंगा
32. प्रेमसिंह पुत्र धोकल
33. शक्तिसिंह पुत्र धोकल
34. अंजली पुत्री नैनसिंह ना.बा.की कुदरती वलीया माता अनिता
35. अनिता पत्नी नैनसिंह
36. खुशवीर(ना.बा.) पुत्र पिण्टूसिंह ना.बा.की कुदरती वलीया माता अनिता
37. युवराज(ना.बा.) पुत्र पिण्टूसिंह ना.बा.की कुदरती वलीया माता अनिता
38. अनिता पत्नी पिण्टूसिंह
39. विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
40. जयसिंह पुत्र दल्ला
41. इन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
42. सुरेन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
43. मीरा पत्नी दल्ला
44. हरी पुत्र सुबान
45. अजीत पुत्र सुबान
46. सिकन्दर ना.बा. पुत्र सुबान ना.बा. की कुदरती वलीया माता हमिदा
47. मुमताज पुत्री सुबान
48. गीता पुत्री सुबान
49. मंजू पुत्री सुबान
50. [illegible] पत्नी सुबान [illegible]तियान– मेहरात, निवासीगण– [illegible], तहसील जैतारण, जिला [illegible] (राज)।
51. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट)मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन [illegible] कलेक्टर,
[illegible]

(राज)।

52. सुगरी पत्नी हेमा
53. बलदेव पुत्र हेमा
54. प्रेम पुत्री हेमा
55. कंचन पुत्री हेमा
56. लक्ष्मी पुत्री हेमा
57. मतुदेवी पुत्री आसूराम
58. मदन पुत्र भंवरु
59. काना पुत्र भंवरु
60. सोवनी पत्नी भंवरु
61. इन्दू पुत्री भंवरु
62. सम्पती पुत्री भंवरु
63. भवंरु पुत्र मंगला
64. लक्ष्मण पुत्र ऊंकार
65. घासी पुत्र ऊंकार
66. जगदीश पुत्र पूना उर्फ पूसीया
67. रमेश पुत्र पूना उर्फ पूसीया
68. मदन दत्तक पुत्र नेना
    जातिगण– भाम्बी, निवासीगण– गावं भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
69. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् **घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ** .अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/10/2020

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:–30/08/2022

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के तत्कालीन खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या एक से सात नारायण पुत्र [illegible], [illegible] राजूराम पुत्र मिसरु, गणपत पुत्र मिसरु, पारस पुत्र मिसरु, मंजू पुत्री मिसरु [illegible] को खर्च खानदान अन्य पारिवारिक जरुरीयात की पूर्ति के लिये [illegible] आवश्यकता होने पर वादी पक्ष को अपने हक अधिकार एवं खातेदारी की सम्पूर्ण हिस्सा 3/80 वां यानि 0 बीघा 14 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड शैलडीडके प्रतिफल की राशि 313594 अक्षरे तीन लाख तैरह हजार पांच सौ चौरानवें रुपये वादी पक्ष से रोकड प्राप्त कर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

14/03/2014 को हस्तान्तरण कर दी और मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया उस रजिस्टर्ड बेचान की प्रति हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन दर्ज करने के लिए कई बार दे चुके है लेकिन हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के वादी के पक्ष मे नाम राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक बतौर खातेदार इन्द्राज नही किया है। वादी अपनी खरीद सुदा विवादित आराजी पर बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी इन्द्राज नही करने सें वादी पक्ष का नाम बतौर खातेदार के राजस्व रेकर्ड में इन्द्रराज करना रह गया है जबकि वादी पक्ष जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड में उसके हक हिसे की भूमि का खातेदारी इन्द्राज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् यह वादपत्र बांबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार नारायण पुत्र सवाई (जिसके द्वारा अपनी भूमि का बैचान वादी को किया जा चुका है) फोत हो चुका है। नारायण पुत्र सवाई के एक मात्र विधिक वारिस व उतराधिकारी कमला पुत्री नारायण है जिनको इस वाद में प्रतिवादी 1 के रुप में पक्षकार बनाया गया है नारायण पुत्र सवाई के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से लगायत 69 की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 69 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के स्थान पर माफिक रजिस्टर्ड बेचान से इन्द्राज नही होने से प्रतिवादीगण से आये दिन वादी के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 69 अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी कीवादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि हिस्से अनुसार मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को अपना नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर वादी का नाम माफिक रजिस्टर्ड बेचान के दर्ज करवाने का कहा तथा दीगर प्रतिवादीगण संख्या 8 से 69 को वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बटवाडा करवाने को कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने एवं कानूनी बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने [illegible] है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश [illegible] तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि [illegible] उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खरीद सुदा कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
[illegible] पाली

जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पड़गे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार बिदामी पत्नी भेरु फोत हो चुकी है। बिदामी पत्नी भेरु के विधिक वारिस मेता पुत्र भेरु, अफसाना पुत्री मैना, कमरु पुत्र भेरु, भंवरी पुत्री भेरु है जो इस वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भी है जिनको इस वाद में प्रतिवादी के रुप में पक्षकार बनाया गया है बिदामी पत्नी भेरु के और कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार रामा पुत्र मेन्दू नाऔलाद फोत हो चुका है। उक्त खातेदार के नाऔलाद फोत होने पर रामा पुत्र मेन्दू के कानूनी वारिस दो सगा भाई भेरु पुत्र मेन्दू व हेमा पुत्र मेन्दू था जो भी फोत हो चुके है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 15 से 19 मेता पुत्र भेरु, अफसाना पुत्री मैना, कमरु पुत्र भेरु, भंवरी पुत्री भेरु, हमीदा पत्नी हेमा, जो इस वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भी है रामा पुत्र मेन्दू के वारिसान होने के कारण उसके हिस्से की भूमि के हकदार है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 15 से 19 पक्षकार बनाया गया है रामा पुत्र मेन्दू के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार दरियाव पुत्र रुपा व भंवरु पुत्र रुपा नाऔलाद फोत हो चुके है। दरियाव पुत्र रुपा व भंवरु पुत्र रुपा के नाऔलाद फोत होने पर उनके सगे भाई देवी पुत्र रुपा व मकबूल पुत्र रुपा कानूनी वारिस थे जो भी फोत हो चुके है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 23 से 29 सोवनी पत्नी देवी, साबू पुत्र देवी, मुकेश पुत्र देवी, गोतम पुत्र देवी, मदिना पुत्री देवी, गंगा पुत्री देवी व हाकम पुत्र मकबूल जो इस वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भी है दरियाव पुत्र रुपा, भंवरु पुत्र रुपा के वारिसान होने के कारण उसके हिस्से की भूमि के हकदार है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 23 से 29 के रुप में पक्षकार बनाया गया है दरियाव पुत्र रुपा भंवरु पुत्र रुपा के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार मकबूल पुत्र रुपा फोत हो चुका है। मकबूल पुत्र रुपा फोत होने से उनके विधिक वारिसान मात्र एक पुत्र हाकम पुत्र मकबूल है जिसको वादग्रस्त भूमि के इस वाद में प्रतिवादी संख्या 29 के रुप में पक्षकार बनाया गया है मकबूल पुत्र रुपा के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार प्रभू पुत्र मूला अविवाहित,नाऔलाद फोत हो चुका है तथा सह खातेदार हेमा पुत्र मूला भी फोत हो चुका है प्रभू पुत्र मूला के नाऔलाद फोत होने पर प्रभू पुत्र मूला के कानूनी वारिस एक मात्र सगा भाई हेमा पुत्र मूला था जो भी फोत हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 52 से 56 प्रभू पुत्र मूला व हेमा पुत्र मूला के वारिसान होने के कारण उसके हिस्से की भूमि के हकदार है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 52 से 56 पक्षकार बनाया गया है प्रभू पुत्र मूला व हेमा पुत्र मूला के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार पूना उर्फ पूसिया पुत्र पिरु फोत हो चुका है। पूनिया उर्फ पूसिया पुत्र पि[illegible] जगदीश पुत्र पूनिया उर्फ पूसिया, जगदीश पुत्र पूनिया उर्फ पूसिया है जिनको इस [illegible] प्रतिवादी संख्या 68 से 69 के रुप में पक्षकार बनाया गया है [illegible] के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार नैना पुत्र गणेश नाऔलाद फोत हो चुका है। राजस्व अभिलेखों में अंकितानुसार गणेश के बा[illegible] उनके तीन पुत्र नैना, सुवटा, भंवरु हो गये खातेदार नैना का नाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है उपरोक्त सजरा के अनुसार नैना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

पुत्र गणेश के कानूनी वारिस दो सगा भाई भवरू पुत्र गणेश, सुवा पुत्र गणेश हुये उनका भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 58 से 64 है जो नैना पुत्र गणेश के हिस्से के की भूमि के हकदार है इस कारण जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 58 से 64 के रुप में पक्षकार बनाया गया है नैना पुत्र गणेश के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में पूर्वज हणुत जी के पांच पुत्र श्योजी छोगा पीरु देवा सरदारा पुत्र हणुत जी थे उनमें से देवा पुत्र हणुत जी के चार पुत्र हुऐ गणेश सुजा कालू रुपा पुत्र देवा जिनके व उनके वारिसान द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि का बैचान अन्य को किया जा चुका है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि देवा पुत्र हणुत खातेदार थे जिसकी मृत्यु के बाद वारिसान का नाम में अंकन हो चुका है लेकिन राजस्व रेकर्ड में देवा पुत्र पीरु नाम संहवन से चलता आ रहा है देवा पुत्र पीरु नाम का कोई व्यक्ति नही था और न ही वर्तमान में कोई व्यक्ति है। संहवन से राजस्व रेकर्ड में चले आ रहे नाम को हटाया जाना न्यायोचित होगा। प्रतिवादी संख्या 70 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30/08/2020 को वादी द्वारा प्रतिवादी को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादी को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 08 से 14, 51, 58 से 60 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 01 से 07, 15से 50, 52 से 57, 61 से 69 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 08 से 14, 51, 58 से 60 जवाब दावा पेश नहीं कर सहमति जाहिर कि हस्तगत वाद में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 08 से 14, 51, 58 से 60 का भी माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जावें। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीग[illegible] स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1 [illegible] 2 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 [illegible] के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री [illegible]क वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की है, बंट्वाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्ड्स करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/मेखमबन्दी करवाकर बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/486 दिनांक 30/05/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने क्रमांक/भू.अ./2022/5089 दिनांक 02/08/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पट्वार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत संजय भंडारी अति. महाप्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी श्री सीमेंट लिमिटेड बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।	1911	0.9911	बा. अ.	2.00
2.	माणक चन्द पुत्र पोकरराम जाति- मेघवाल, निवासी प्लाट न. 84 श्री गोपाल नगर मसूदा रोड ब्यावर जिला अजमेर खातेदार।	1911/3	0.1685	बा. अ.	0.34
3.	डालचंद पुत्र छितरमल जाति भाम्बी निवासी गडडी थोरियन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर हि. 10395/201726, बनवारी लाल पुत्र रतनलाल जाति नायक निवासी गणेश कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर हि. 26670/201726, महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति कोली निवासी शिवा कॉलोनी नगरा अजमेर हि. 23191/201726, अरविन्द कुमार पुत्र चांदमल जाति रेगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी होट्ल राजमहल के पास ब्यावर जिला अजमेर हि. 3420/201726, प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम जाति भाम्बी निवासी मोहननगर ब्यावर जिला अजमेर हि. 58800/201726, कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल जाति कोली निवासी [illegible] कॉलोनी गणेशपुरा रोड ब्यावर जिला अजमेर हि. 11760/201726, चम्पालाल पुत्र [illegible] जाति मेघवाल निवासी बाडसा तहसील [illegible] जिला पाली हि. 67490/201726 खातेदार	1911/4	0.9071	बा.अ.	1.80
4.	मदन पुत्र भंवरू हि. 1/3 कानां पुत्र भंवरू हि. 1/3 सोवनी पत्नी भंवरू हि. 1/3 सर्वजाति भाम्बी सा. देह खातेदार	1911/1	0.0172	बा.अ.	0.03
5.	मतुदेवी पुत्री आसु हि. 84/4972 सुगरी पत्नी हेमा हि. 560/4972 बलदेव पुत्र हेमा हि.	1911/2	0.4936	बा.अ.	0.99

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला पाली

	560/4972 प्रेम पुत्री हेमा हि. 560/4972 कंचन पुत्री हेमा हि. 560/4972 लक्ष्मी पुत्री हेमा हि. 560/4972 डूंगा पुत्र सुवा हि. 35/4972 आपू पत्नी सुवा हि. 35/4972 इन्दू पुत्री भंवरू हि. 14/4972 सम्पति पुत्री भंवरू हि. 14/4972 लक्ष्मण पुत्र ऊंकार हि. 35/4972 घासी पुत्र ऊंकार हि. 35/4972 जगदीश पुत्र पुना उर्फ पूसा हि. 80/4972 रमेश पुत्र पुना उर्फ पूसा हि. 80/4972 कमला पुत्री पुना उर्फ पूसा हि. 80/4972 भंवरू पुत्र मंगला हि. 1680/4972 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार				
6.	अफसाना ना. बा. पुत्री नैना वलि बड़े पिता मेता हि. 630/22554 छोटी पत्नी नैना हि. 630/22554 मेता पुत्र भेरा हि. 588/22554 कमरू पुत्र भेरा हि. 588/22554 भंवरी पुत्री भेरा हि. 588/22554 हमीदा पत्नी हेमा हि. 5040/22554 घीसा पुत्र बना हि. 1260/22554 रोशन पुत्र बना हि. 630/22554 भोजा पुत्र हेमा हि. 630/22554 हाकम पुत्र मकबूल हि. 1680/22554 साबू पुत्र देवी हि. 140/22554 मुकेश पुत्री देवी हि. 140/22554 गौतम पुत्र देवी हि. 140/22554 मदीना पुत्री देवी हि. 140/22554 गंगा पुत्री देवी हि. 140/22554 सोहनी पत्नी देवी हि. 140/22554 प्रेमसिंह पुत्र धूकल हि. 360/22554 शक्तिसिंह पुत्र धूकल हि. 360/22554 अंजली ना.बा. पुत्री नैनसिंह वलि माता अनिता हि. 120/22554 अनिता पत्नी नैनसिंह हि. 120/22554 खुशवीर ना.बा. पुत्र पिंटूसिंह वलि माता अनिता हि. 150/22554 युवराज ना. बा. पुत्र पिंटूसिंह वलि माता अनिता हि. 150/22554 अनिता पत्नी पिंटूसिंह हि. 60/22554 गोपालसिंह पुत्र डूंगा हि. 4350/22554 जयसिंह पुत्र दला हि. 315/22554 इन्द्रसिंह पुत्र दला हि. 315/22554 सुरेन्द्रसिंह पुत्र दला हि. 315/22554 मीरा पत्नी दला हि. 315/22554 अजीत पुत्र सुबान हि. 360/22554 हरि पुत्र सुबान हि. 360/22554 सिकन्दर पुत्र सुबान हि. 360/22554 मुमताज पुत्री सुबान हि. 360/22554 गीता पुत्री सुबान हि. 360/22554 मंजू पुत्री सुबान हि. 360/22554 हमीदा पत्नी सुबान हि. 360/22554 कौम मेहरात सा. देह खातेदार।	1911/5	0.5952	बा.अ	1.19

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को [illegible] ...या।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :–डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

वादीगण

1. माणकचन्द पुत्र श्री पोकरराम जाति मेघवाल, निवासी प्लाट न. 84 श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

1. नारायण पुत्र सवाई फौत के कायम मुकाम
   1/1. कमला पुत्री नारायण
2. सुरेश पुत्र शंकर
3. राजूराम पुत्र मिसरू
4. गणपत पुत्र मिसरू
5. पारस पुत्र मिसरू
6. मंजू पुत्री मिसरू
7. नैनी पत्नी मिसरू जाति भाम्बी निवासीगण भीमगढ तह0जैतारण
8. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जी जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।
9. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
10. डालचन्द पुत्र छितरमल जी जाति भाम्बी, निवासी 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
11. चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
12. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भाम्बी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
13. कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल जाति कोली, निवासी 8ए श्रीकृष्ण कॉलोनी गणेशपुरा रोड ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
14. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
15. मेता पुत्र भेरा
16. अफसाना पुत्री नेना ना.बा.का कुदरती [illegible] मेता पुत्र भेरा
17. [illegible] पुत्र भेरू
18. [illegible]
19. [illegible] पत्नी हेमा
20. [illegible] पुत्र बन्ना
21. रोशन पुत्र बन्ना
22. भोजा पुत्र हेमा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

23. सोहनी पत्नी देवी
24. साबू पुत्र देवी
25. मुकेश पुत्र देवी
26. गोतम पुत्र देवी
27. मदीना पुत्री देवी
28. गंगा पुत्री देवी
29. हाकम पुत्र मकबुल
30. माला पुत्र कालू
31. गोपालसिंह पुत्र डूंगा
32. प्रेमसिंह पुत्र धोकल
33. शक्तिसिंह पुत्र धोकल
34. अंजली पुत्री नैनसिंह ना.बा.की कुदरती वलीया माता अनिता
35. अनिता पत्नी नैनसिंह
36. खुशवीर(ना.बा.) पुत्र पिण्टूसिंह ना.बा. की कुदरती वलीया माता अनिता
37. युवराज(ना.बा.) पुत्र पिण्टूसिंह ना.बा.की कुदरती वलीया माता अनिता
38. अनिता पत्नी पिण्टूसिंह
39. विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
40. जयसिंह पुत्र दल्ला
41. इन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
42. सुरेन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
43. मीरा पत्नी दल्ला
44. हरी पुत्र सुबान
45. अजीत पुत्र सुबान
46. सिकन्दर ना.बा. पुत्र सुबान ना.बा.की कुदरती वलीया माता हमिदा
47. मुमताज पुत्री सुबान
48. गीता पुत्री सुबान
49. मंजू पुत्री सुबान
50. हमीदा पत्नी सुबान
    जातियान– मेहरात, निवासीगण– भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
51. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट)मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।
52. [illegible] हेमा
53. [illegible] पुत्र हेमा
54. [illegible] हेमा
55. [illegible] पुत्री हेमा
56. [illegible] पुत्री हेमा
57. मतुदेवी पुत्री आसूराम
58. मदन पुत्र भंवरु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

59. काना पुत्र भंवरु
60. सोवनी पत्नी भंवरु
61. इन्दू पुत्री भंवरु
62. सम्पती पुत्री भंवरु
63. भवंरु पुत्र मंगला
64. लक्ष्मण पुत्र ऊंकार
65. घासी पुत्र ऊंकार
66. जगदीश पुत्र पूना उर्फ पूरीया
67. रमेश पुत्र पूना उर्फ पूरीया
68. मदन दत्तक पुत्र नेना
    जातिगण– भाम्बी, निवासीगण– गावं भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
69. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स0: 87/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री अमित त्रिपाठी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत संजय भंडारी अति. महाप्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी श्री सीमेंट लिमिटेड बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।	1911	0.9911	बा. अ.	2.00
2.	माणक चन्द पुत्र पोकरराम जाति– मेघवाल, निवासी प्लाटं न. 84 श्री गोपाल नगर मंसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर खातेदार।	1911/3	0.1685	बा. अ.	0.34
3.	डालचंद पुत्र छितरमल जाति भाम्बी निवासी गडडी थोरियन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर हि. 10395/201726, बनवारी लाल पुत्र रतनलाल जाति नायक निवासी गणेश कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर हि. 26670/201726, महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति कोली निवासी शिवा कॉलोनी नगरा अजमेर 23191/201726, अरविन्द कुमार पुत्र चांद... जाति रेगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी ... राजमहल के पास ब्यावर जिला अजमेर हि. 3420/201726, प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम जाति भाम्बी निवासी मोहननगर ब्यावर जिला अजमेर हि. 58800/201726, कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल जाति कोली निवासी 8ए श्रीकृष्ण कॉलोनी गणेशपुरा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर हि.	1911/4	0.9071	बा.अ.	1.80

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

	11760/201726, चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल निवासी बाडसा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हि. 67490/201726 खातेदार।				
4.	मदन पुत्र भंवरू हि. 1/3 काना पुत्र भंवरू हि. 1/3 सोवनी पत्नी भंवरू हि. 1/3 सर्वजाति भाम्बी सा. देह खातेदार	1911/1	0.0172	बा.अ.	0.03
5.	मतुदेवी पुत्री आसु हि. 84/4972 सुगरी पत्नी हेमा हि. 560/4972 बलदेव पुत्र हेमा हि. 560/4972 प्रेम पुत्री हेमा हि. 560/4972 कंचन पुत्री हेमा हि. 560/4972 लक्ष्मी पुत्री हेमा हि. 560/4972 डूंगा पुत्र सुवा हि. 35/4972 आपू पत्नी सुवा हि. 35/4972 इन्दू पुत्री भंवरू हि. 14/4972 सम्पति पुत्री भंवरू हि. 14/4972 लक्ष्मण पुत्र ऊंकार हि. 35/4972 घासी पुत्र ऊंकार हि. 35/4972 जगदीश पुत्र पुना उर्फ पूसा हि. 80/4972 रमेश पुत्र पुना उर्फ पूसा हि. 80/4972 कमला पुत्री पुना उर्फ पूसा हि. 80/4972 भंवरू पुत्र मंगला हि. 1680/4972 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1911/2	0.4936	बा.अ.	0.99
6.	अफसाना ना. बा. पुत्री नैना वलि बड़े पिता मेता हि. 630/22554 छोटी पत्नी नैना हि. 630/22554 मेता पुत्र भेरा हि. 588/22554 कमरू पुत्र भेरा हि. 588/22554 भंवरी पुत्री भेरा हि. 588/22554 हमीदा पत्नी हेमा हि. 5040/22554 घीसा पुत्र बना हि. 1260/22554 रोशन पुत्र बना हि. 630/22554 भोजा पुत्र हेमा हि. 630/22554 हाकम पुत्र मकबूल हि. 1680/22554 साबू पुत्र देवी हि. 140/22554 मुकेश पुत्री देवी हि. 140/22554 गौतम पुत्र देवी हि. 140/22554 मदीना पुत्री देवी हि. 140/22554 गंगा पुत्री देवी हि. 140/22554 सोहनी पत्नी देवी हि. 140/22554 प्रेमसिंह पुत्र धूकल हि. 360/22554 शक्तिसिंह पुत्र धूकल हि. 360/22554 अंजली ना.बा. पुत्री नैनसिंह वलि माता अनिता हि. 120/22554 अनिता पत्नी नैनसिंह हि. 120/22554 खुशवीर ना.बा. पुत्र पिंटूसिंह वलि माता अनिता हि. 150/22554 युवराज ना. बा. पुत्र पिंटूसिंह वलि माता अनिता हि. 150/22554 अनिता पत्नी पिंटूसिंह हि. 60/22554 गोपालसिंह पुत्र डूंगा हि. 4350/22554 जयसिंह पुत्र दला हि. 315/22554 इन्द्रसिंह पुत्र दला हि. 315/22554 सुरेन्द्रसिंह पुत्र दला हि. 315/22554 मीरा पत्नी दला हि. 315/22554 अजीत पुत्र सुबान हि. 360/22554 हरि पुत्र सुबान हि. 360/22554 सिकन्दर पुत्र सुबान हि. 360/22554 मुमताज पुत्री सुबान हि. 360/22554 गीता पुत्री सुबान हि. 360/22554 मंजू पुत्री सुबान हि. 360/22554 हमीदा पत्नी सुबान हि. 360/22554 कौम मेहरात सा. देह खातेदार।	1911/5	0.5952	बा.अ	1.19

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/08/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	10–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	01–00
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	05–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	09–00	मिजानः–	11–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested